यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
UJVN Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
कार्यालय अधिशासी निदेशक(मा0सं0), ''उज्ज्वल'', महारानी बाग, जी0एम0एस0रोड, देहरादून–248006 (उत्तराखण्ड)
Office of the Executive Director(HR), "Ujjwal", Maharani Bagh, G.M.S. Road, Dehradun-248 006 (Uttarakhand)
CIN No. U40101UR2001SGC025866
ISO 9001:2015,14001:2015:2018 Certified

संख्याः M-737 /यूजेवीएनएल/एचआर/आईआर दिनांक 28-05 –2024

कार्यालय ज्ञापन

यूजेवीएन लिमिटेड के अर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के **आर्टिकल–49, 50** एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अर्न्तगत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यूजेवीएन लिमिटेड के **निदेशक मण्डल** की **दिनांक 07.03.2024** को आहूत 118वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या 118.21 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा यूजेवीएन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2024 निम्नवत् अनुमोदित एवं प्रख्यापित की जाती है:–

यूजेवीएन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली–2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1– (क) यह विनियमावली यूजेवीएन लिमिटेड कार्मिक(अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2024 कही जायेगी।

(ख) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं 2– जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस विनियमावली में :–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) ''निगम'' का तात्पर्य ''यूजेवीएन लिमिटेड'' से है (जो पूर्व में उत्तरॉचल जल विद्युत निगम तथा बाद में उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है);

(ग) ''विभागीय जाँच'' का तात्पर्य इस नियमावली के नियम–7 के अधीन जाँच से है;

(घ) ''अनुशासनिक प्राधिकारी'' का तात्पर्य नियम–6 के अधीन शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है;

(ड.) ''सरकार'' से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य की सरकार से है;

(च) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य यूजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष से है;

(छ) ''निदेशक मण्डल'' का तात्पर्य यूजेवीएन लिमिटेड के निदेशक मण्डल से है;

(ज) ''प्रबन्ध निदेशक'' का तात्पर्य यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक से है;

(झ) ''कार्मिक'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो यूजेवीएन लिमिटेड की सेवाओं एवं पदों पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ञ) ''समूह क, ख, ग और घ के पदों'' का तात्पर्य सुसंगत सेवा विनियमावली या इस संबंध में समय–समय पर जारी यूजेवीएन लिमिटेड के आदेशों में इस रूप में उल्लिखित पदों से है;

(ट) "सेवा" का अर्थ यूजेवीएन लिमिटेड में इस उपविधि अथवा इसके प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त संगत आदेशों/नियमों/विनियमों के उपबन्धों के अधीन नियमित सेवा से है, जो मौलिक नियुक्ति के पश्चात की गई हो। इसमें अनुबन्ध और दैनिक वेतन के आधार पर प्रदान की गई सेवाएं अथवा अन्य निगमों और संगठना से यूजेवीएन लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर प्रदान की गई सेवाएं सम्मिलित नही हैं;

शास्तियां

3— निम्नलिखित शास्तियॉ, उपयुक्त और पर्याप्त कारण होने पर और जैसा आगे उपबन्धित है, कार्मिकों पर अधिरोपित की जा सकेगीः—

(क) लघु शास्तियां

(एक) परिनिन्दा (Censure);

(दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना अथवा विनिर्दिष्ट संख्या में वेतन वृद्वि को असंचयी प्रभाव से कम किया जाना;

(तीन) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण निगम को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना;

(चार) समूह 'घ' पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में जुर्माना, परन्तु ऐसे जुर्माने की धनराशि किसी भी स्थिति में, उस माह के वेतन के, जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया हो, पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ख) दीर्घ शास्तियां

(एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि को रोकना अथवा विनिर्दिष्ट संख्या में वेतन वृद्वि को संचयी प्रभाव से कम किया जाना;

(दो) किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना;

(तीन) सेवा से हटाना (Removal) जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नही करता हो;

(चार) सेवा से पदच्युति (Dismissal) जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित करता हो।

स्पष्टीकरणः— इस विनियम के अर्थ के अन्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति की कोटि में नही माना जायेगा, अर्थातः—

(एक) किसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने पर या सेवा को शास्ति करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर किसी कार्मिक की वेतनवृद्धि को रोकना;

(दो) सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति का परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर नियुक्ति के निबंधन या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार सेवा में प्रतिवर्तन;

(तीन) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर सेवा के निबंधन या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदशों के अनुसार सेवा की पर्यवस्यन।

निलम्बन

4— (एक) कोई कार्मिक जिसके आचरण के विरूद्व कोई जांच अनुध्यात हैं या उसकी कार्यवाही चल रही है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर जांच की समाप्ति के लम्बित रहने तक, निलम्बन के अधीन रखा जा सकेगा।

निलम्बन आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि संबधित कार्मिक के विरूद्ध अभिकथन इतने गम्भीर है कि उनके स्थापित होने की दशा में दीर्घ शास्ति दी जा सकती है।

परन्तु निलम्बन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि कार्मिक के विरूद्ध अभिकथन इतने गम्भीर न हों कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में सामान्यतः दीर्घ शास्ति का समुचित आधार हो सकता हो।

परन्तु यह और भी कि निदेशक मण्डल द्वारा इस निमित्त जारी आदेश द्वारा सशक्त संबंधित विभागाध्यक्ष समूह 'क' और 'ख' के कार्मिकों को इस नियम के अधीन निलम्बित कर सकेगा;

परन्तु यह और भी कि समूह ''ग'' और ''घ'' के किसी कार्मिक या कार्मिको के वर्ग के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी अपनी शक्ति इस नियम के अधीन अपने निम्नतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।''

(दो) कोई कार्मिक, जिसके सम्बन्ध में या जिसके विरूद्ध किसी आपराधिक आरोप से संबन्धित कोई अन्वेषण, जांच या विचारण, जो कार्मिक के रूप में उसकी स्थिति से संबन्धित है या जिससे उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने में संकट उत्पन्न होने की संम्भावना हो या जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, लम्बित हो, नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे इस विनियमावली के अधीन निलम्बित करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो उसके विवेक पर तब तक निलंबित रखा जा सकेगा जब तक कि उस आरोप से संबन्धित समस्त कार्यवाहियॉ समाप्त न हो जाये।

(तीन) (क) कोई कार्मिक यदि वह अड़तालीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो, चाहें निरोध आपराधिक आरोप पर या अन्यथा किया गया हो निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निरोध के दिनांक से यथास्थिति निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा।

(ख) उपर्युक्त कार्मिक अभिरक्षा से निर्मुक्त किये जाने के पश्चात् अपने निरोध के बारे में सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा और समझे गये निलम्बन के विरूद्ध अभ्यावेदन भी कर सकेंगा। सक्षम प्राधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ–साथ इस विनियम में दिये गये उपबन्धों के प्रकाश में अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् अभिरक्षा से निर्मुक्त होने के दिनांक से समझे गये निलम्बन को जारी रखने या उसका प्रतिसंहरण या उपान्तरण करने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा।

(चार) कोई कार्मिक उसके सिद्धदोष ठहराये जाने के दिनांक से, यदि किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये जाने के कारण उसे अड़तालीस घण्टे से अधिक अवधि के कारावास की सजा दी गई है और उसे ऐसे सिद्धदोष के फलस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया है या हटाया नही गया है, तो इस विनियमावली के अधीन निलम्बन के लिए सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से, यथास्थिति, निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरणः— इस उपनियम में निर्दिष्ट अड़तालीस घण्टे की अवधि की गणना सिद्धदोष ठहराये जाने के पश्चात् और इस प्रयोजन के लिए कारावास की आन्तरायिक कालावधियों को, यदि कोई हो, ध्यान में रखा जायेगा

(पांच) जहां किसी कार्मिक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की शास्ति को इस विनियमावली या इस विनियमावली द्वारा विस्थापित नियमावली के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन में अपास्त कर दिया जाये और मामले की अग्रेतर जांच या कार्यवाही के लिए किसी अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया जाये वहॉः—

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को, उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से, निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा;

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था, तो यदि उसे अपील या पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाये, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश को और से, नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उप–विनियम में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे मामले में जहॉ, किसी कार्मिक पर पदच्युत या सेवा से हटाये जाने की अधिरोपित शास्ति को इस नियमावली के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में, उन अभिकथनों के, जिन पर शास्ति अधिरोपित की गयी थी, गुणों से भिन्न आधार पर अपास्त कर दिया गया हो, किन्तु मामले की अग्रेतर जांच या कार्यवाही के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित कर दिया गया हो, उन अभिकथनों पर उसके विरूद्ध अग्रेतर जांच लम्बित रहते हुए निलम्बन आदेश, इस प्रकार कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, पारित करने की अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति को प्रभावित करता है।

(छः) जहां किसी कार्मिक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति को किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय या परिणाम स्वरूप अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाये या शून्य कर दिया गया और नियुक्ति प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, उसके विरूद्ध उन अभिकथनों, जिन पर पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति मूलरूप में आरोपित की गई थी, अग्रेतर जांच करने का विनिश्चय करता हो चाहे वे अभिकथन अपने मूल में रहें या उन्हें स्पष्ट कर दिया जाये या उनके विवरणों को और अच्छी तरह विनिर्दिष्ट कर दिया जाय या उनके किसी छोटे भाग का लोप कर दिया जाय वहां—

(क) यदि वह शास्ति दिऐ जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निदेश के अध्याधीन रहते हुए पदच्युति या सेवा से हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था तो उसे यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जायें, "*पदच्युति*" या "*सेवा से हटाने*" के मूल आदेश के दिनांक को और से सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा।

(सात) जहां कोई कार्मिक (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) निलम्बित कर दिया जाये या निलम्बित किया गया समझा जायें और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस निलम्बन के दौरान उसके विरूद्ध प्रारम्भ कर दी जाये, वहॉ निलम्बित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि वह कार्मिक तब तक निलंबित बना रहेगा जब तक ऐसी समस्त या कोई कार्यवाही समाप्त न कर दी जाये।

(आठ) इस विनियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया या प्रवृत्त बना हुआ कोई निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उपान्तरित या प्रतिसंहरण न कर दिया जाये।

(नौ) इस विनियम के अधीन निलम्बन के अधीन या निलम्बन के अधीन समझा गया कोई कार्मिक फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के फण्डामेन्टल रूल–53 के उपबन्धों के अनुसार उपादान भत्ता पाने का हकदार होगा।

निलम्बन अवधि में वेतन और भत्ते आदि

5– इस विनियमावली के अधीन यथास्थिति विभागीय जांच या आपराधिक मामले के आधार पर आदेश पारित हो जाने के पश्चात् संबन्धित कार्मिक के वेतन और भत्तों के बारे में विनिश्चय और उक्त अवधि को ड्यूटी पर बिताया गया माना जायेगा अथवा नहीं पर विचार करते हुए उक्त कार्मिक को नोटिस देकर फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग–दो से चार के नियम–54 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्टीकरण मॉगने के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

अनुशासनिक प्राधिकारी

6– किसी कार्मिक का नियुक्ति प्राधिकारी उसका अनुशासनिक प्राधिकारी होगा जो इस नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उस पर नियम–3 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो उसके अधीनस्थ हो जिसके द्वारा उसकी वास्तविक रूप में नियुक्ति की गयी थी, पदच्युति या सेवा से हटाया नहीं जायेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस विनियमावली के अधीन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समूह ''क'', ''ख'', ''ग'' और ''घ'' के पदों के किसी कार्मिक के मामले में पदच्युति या सेवा से हटाये जाने के सिवाय किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने की शक्ति को, अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए जैसी उसमें विहित की जाये, प्रत्यायोजित कर सकती है।

दीर्घ शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया

7– किसी कार्मिक पर कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व निम्नलिखित रीति से जांच की जायेगीः–

(1) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी कार्मिक के विरूद्ध अवचार या कदाचार के किसी लान्छन की सत्यता के बारे में जॉच करने के लिए आधार हो तो वह जॉच कर सकेगा।

(2) अवचार के ऐसे तथ्यों को जिन पर कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित हो, निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में रूपान्तरित किया जायेगा जिसे आरोप–पत्र कहां जायेगा आरोप पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

परन्तु जहां नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक मण्डल हो वहां आरोप पत्र निदेशक मण्डल द्वारा सशक्त प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकेगा।

(3) विरचित आरोप इतने संक्षिप्त और स्पष्ट होगे जिससे आरोपित कार्मिक के विरूद्व तथ्यों और परिस्थितियों के पर्याप्त उपदर्शन हो सके। आरोप–पत्र में प्रस्तावित दस्तावेजों साक्ष्यों और उसे सिद्व करने के लिए प्रस्तावित गवाहों के नाम मौखिक साक्ष्यों के साथ, यदि कोई हो, उल्लिखित किये जायेगे।

(4) आरोप–पत्र, उसमें उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति और साक्षियों की सूची और उनके कथन यदि कोई हो के साथ आरोपित कार्मिक को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पतें पर तामिल की जायेगी, उपर्युक्त रीति से आरोप–पत्र तामिल न कराये जा सकने की दशा में आरोप–पत्र को व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामिल कराया जायेगा।

परन्तु जहां दस्तावेजी साक्ष्य विशाल हो वहां इसकी प्रति आरोप–पत्र के साथ प्रेषित करने के बजाय, आरोपित कार्मिक को निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

(5) आरोपित कार्मिक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी विनिर्दिष्ट दिनांक को जो आरोप–पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिन से कम नही होगा, व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिरक्षा में एक लिखित कथन प्रस्तुत करे जिसमें वह स्पष्ट रूप से सूचित करे कि वह आरोप–पत्र में उल्लिखित सभी या किन्हीं आरोपों को स्वीकार करता हैं अथवा नहीं। आरोपित कार्मिक से यह भी अपेक्षा की जायेगी की वह यह कथन करे कि आरोप–पत्र में उल्लिखित किसी साक्षी का प्रतिपरीक्षा करना चाहता हैं और क्या वह अपनी प्रतिरक्षा में लिखित तथा मौखिक साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता हैं। उसको यह भी सूचित किया जायेगा की विनिर्दिष्ट दिनांक को उसके उपस्थित न होने या लिखित कथन दाखिल न करने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ नही हैं और उसके विरूद्व एक पक्षीय जांच कार्यवाही प्रचलित की जायेगी।

(6) प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्राप्ति पर जहॉ कार्मिक ने अपने लिखित कथन में आरोप–पत्र में उल्लिखित सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया हैं, वहॉ अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसी अभिस्वीकृति के दृष्टिगत यदि साक्ष्य की आवश्यकता समझे, तो ऐसा साक्ष्य जो वह ठीक समझे, लेने के पश्चात प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और निष्कर्षो को ध्यान मे रखतें हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 3 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति आरोपित निगमीय सेवक पर अधिरोपित होनी चाहिए, तो वह अभिलिखित निष्कर्षो की एक प्रति आरोपित कार्मिक को देगा और उससे उसका अभ्यावेदन, यदि वह ऐसा चाहता हो, एक युक्तियुक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी, प्रत्येक आरोप के सम्बन्ध में अभिलिखित निष्कर्ष और आरोपित कार्मिक के अभ्यावेदन से संबन्धित समस्त सुसंगत अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, और इस विनियमावली के नियम 3 में उल्लिखित एक या अधिक शास्तियॉ अधिरोपित करते हुए एक युक्तिसंगत आदेश पारित करेगा और उसे आरोपित कार्मिक को संसूचित करेगा।

(7) यदि कार्मिक ने प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन पेश नहीं किया हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपों की जॉच स्वयं कर सकेगा या यदि वह आवश्यक समझे तो उपनियम (8) के अधीन इस प्रयोजन के लिए जॉच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(8) अनुशासनिक प्राधिकारी, उन आरोपों की, जो कार्मिक ने स्वीकार नहीं किये हैं, जॉच स्वयं कर सकेगा या यदि वह उचित समझे तो अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को इस प्रयोजन के लिए जॉच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा जो कि यथा संभव आरोपित कार्मिक के स्तर से कम से कम दो स्तर ऊपर का हो।

(9) जहॉ अनुशासनिक प्राधिकारी ने उपनियम (8) के अधीन जॉच अधिकारी नियुक्त किया हैं, वहॉ वह जॉच अधिकारी को निम्नलिखित भेजेगा अर्थातः–

(क) आरोप–पत्र और अवचार या कदाचार के विवरण की एक प्रति;

(ख) आरोपित कार्मिक द्वारा पेश किये गये प्रतिरक्षा के लिखित कथन की, यदि कोई हो, एक प्रति;

(ग) आरोप पत्र में निर्दिष्टि अभिलेखों का कार्मिक को परिदान सिद्ध करने वाला साक्ष्य।

(घ) आरोप पत्र में निर्दिष्ट साक्ष्य के कथनों की, यदि कोई हो एक प्रति।

(10) अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा जांच अधिकारी, जिसके द्वारा भी जांच की जा रही हो, आरोप–पत्र में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित कार्मिक की उपस्थिति में जिसे ऐसे साक्षियों की प्रति परीक्षा का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यो को अभिलिखित करने के पश्चात जांच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित कार्मिक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था;

परन्तु ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेगे, किसी साक्षी को बुलाने से इनकार किया जा सकेगा।

(11) अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा जांच अधिकारी, जिसके द्वारा भी जांच की जा रही हो उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम 1976 (जो उत्तराखण्ड राज्य में उ0प्र0 पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के प्राविधानों के अर्न्तगत प्रभावी हैं), के उपबन्धों के अनुसार अपने समक्ष किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिए बुला सकेगा या किसी व्यक्ति से दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(12) अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा जांच अधिकारी, जिसके द्वारा भी जांच की जा रही हो सत्य का पता लगाने या आरोपों से सुसंगत तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने की दृष्टि से किसी भी समय किसी साक्षी से या आरोपित व्यक्ति से कोई भी प्रश्न जो वह चाहे, पूछ सकता है।

(13) जहां आरोपित कार्मिक जांच में किसी नियत दिनांक पर या कार्यवाही के किसी भी स्तर पर उसे सूचना तामील किये जाने या दिनांक की जानकारी रखने के बावजूद उपस्थित नही होता हैं, तो अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा जांच अधिकारी, जिसके द्वारा भी जांच की जा रही हो, एक पक्षीय जांच की कार्यवाही करेगा और ऐसे मामले में आरोपित कार्मिक की अनुपस्थिति में आरोप–पत्र में उल्लिखित साक्षियों के कथन को अभिलिखित करेगा।

(14) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता हो, आदेश द्वारा उसकी ओर से आरोप के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी कार्मिक या विधि व्यवसायी को जिसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहा जायेगा, नियुक्त कर सकता हैं।

(15) आरोपित कार्मिक अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य कार्मिक की सहायता ले सकता हैं किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधिक व्यवसायी की सेवा तब तक नही ले सकता हैं जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो या अनुशासनिक प्राधिकारी ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी अनुज्ञा न दे दी हो;

(16) किसी जांच में सम्पूर्ण साक्ष्य को या उसके किसी भाग को सुनने तथा अभिलिखित करने के पश्चात् जब भी जांच करने वाले प्राधिकारी की अधिकारिता समाप्त हो जाए और उसके स्थान पर कोई अन्य ऐसा जांच प्राधिकारी पद ग्रहण कर ले जिसे ऐसी अधिकारिता प्राप्त हो और जो उसका प्रयोग करता हो तो इस प्रकार स्थान ग्रहण करने वाला उत्तरवर्ती जांच करता हो तो इस प्रकार स्थान ग्रहण करने वाला उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित अथवा भागतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा और भागतः स्वयं द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर आगे कार्रवाई कर सकेगा;

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी की यह राय हो कि उन साक्षियों में से जिनका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका हैं, किसी की आगे परीक्षा न्याय के हित में आवश्यक है तो वह ऐसे किसी भी साक्षी को यथा पूर्व उपबंधित रूप में, पुनः बुला सकेगा तथा उसकी परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा कर सकेगा।

(17) यह नियम निम्नलिखित में लागू नही होगा; अर्थात् निम्न मामलों में जांच करने की आवश्यकता नहीं हैं :–

(क) जहां किसी व्यक्ति पर ऐसे आचरण के आधार पर कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित की जाती हैं जिसके लिए आपराधिक आरोप पर उसे सिद्वदोष ठहराया गया हैं; या

(ख) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, यह समाधान हो जाता हैं कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहारिक नहीं हैं; या

(ग) जहां निदेशक मण्डल का यह समाधान हो जाता हैं कि निगम की सुरक्षा के हित में इस नियमावली में उपबंधित रीति से जांच किया जाना समीचीन नहीं हैं।"

जांच रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना

8– जांच पूरी हो जाने पर जांच अधिकारी/जांच समिति, जांच के समस्त अभिलेखों के साथ अपनी जांच रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जांच रिपोर्ट में संक्षिप्त तथ्यों का पर्याप्त अभिलेख, साक्ष्य और प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष कर विवरण और उसके कारण अन्तर्विष्ट होंगे। जांच अधिकारी/जांच समिति शास्ति के बारे में कोई संस्तुति नहीं करेगा।

जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही

9– (एक) अनुशासनिक प्राधिकारी कार्मिक को सूचना देते हुए ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, मामला पुनः जांच के लिए उसी या किसी अन्य जांच अधिकारी/जांच समिति को प्रेषित कर सकेगा। तदुपरान्त जांच अधिकारी/जांच समिति उस स्तर से जिससे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया हो, नियम–7 के उपबंधों के अनुसार जांच की कार्यवाही करेगा।

(दो) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप के निष्कर्ष पर जांच अधिकारी से असहमत हो तो उस अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा।

(तीन) आरोप सिद्ध न होने की दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपित कार्मिक को आरोपों से विमुक्त कर दिया जायेगा और तद्नुसार उसे संसूचित कर दिया जायेगा।

(चार) यदि समस्त या किन्हीं आरोपों के निष्कर्षो को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम–3 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति आरोपित कार्मिक पर अधिरोपित होनी चाहिए तो वह उपनियम –(दो) के अधीन जांच रिपोर्ट और उसके अभिलिखित निष्कर्षो की एक प्रति आरोपित कार्मिक को देगा और उससे उसका अभ्यावेदन, यदि वह ऐसा चाहता हो, एक युक्तियुक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच और आरोपित कार्मिक के अभ्यावेदन से संबधित समस्त सुसंगत अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, विनियमावली के नियम–3 में उल्लिखित एक या अधिक शास्तियां अधिरोपित करते हुए एक युक्तिसंगत आदेश पारित करेगा और उसे आरोपित कार्मिक को संसूचित करेगा।

लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया

10–(एक) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि ऐसी प्रक्रिया को अंगीकार करने के लिए समुचित और पर्याप्त कारण हैं, वहां वह उपनियम (दो) के अध्याधीन रहते हुए, नियम–3 में उल्लिखित एक या अधिक लघु शास्तियाँ अधिरोपित कर सकेगा।

(दो) कार्मिक को उसके विरूद्ध अभ्यारोपणों का सार सूचित किया जायेगा और उससे एक युक्तियुक्त समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश जैसा वह उचित समझता है, पारित करेगा और जहां कोई शास्ति अधिरोपित की जाय, वहां उसके कारण दिये जायेंगे। आदेश सम्बंधित कार्मिक को संसूचित किया जायेगा।

(तीन) यदि किसी कार्मिक के विरूद्ध यौन शोषण या यौन उत्पीड़न की शिकायत कार्य स्थल के प्रभारी सहित नियुक्ति प्राधिकारी को की जाती है और यदि नियुक्ति प्राधिकारी जांच के प्रयोजनार्थ एक शिकायत समिति (जिसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा) गठित करता है तो ऐसी शिकायत समिति की रिपोर्ट/निष्कर्ष को जांच रिपोर्ट माना जाएगा और नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी रिपोर्ट के आधार पर अपचारी सरकारी सेवक पर लघु शास्ति आरोपित कर सकता है और एक पृथक जांच संस्थित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अपील

11–(एक) इस विनियमावली के अधीन निदेशक मण्डल द्वारा पारित आदेश के सिवाय काार्मिक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की अपील अगले उच्चतर प्राधिकारी को करने का हकदार होगा।

(दो) अपील, अपील प्राधिकारी को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत की जायेगी। यदि कोई कार्मिक अपील करेगा तो वह उसे अपने नाम से प्रस्तुत करेगा। अपील में ऐसे समस्त तात्विक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी भरोसा करता हो।

(तीन) अपील में किसी असंयमित भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई अपील, जिसमें ऐसे भाषा का प्रयोग किया जाय, सरसरी तौर पर खारिज की जा सकेगी।

(चार) अपील आक्षेपित आदेश की संसूचना के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी। उक्त अवधि के पश्चात् की गई कोई अपील सरसरी तौर पर खारिज कर दी जायेगी।

अपील पर विचार

12– अपील प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् अपील में इस विनियमवाली के नियम–13 के खण्ड (क) से (घ) में यथा उल्लिखित ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझेः–

(क) क्या ऐसे तथ्य जिन पर आदेश आधारित था, स्थापित किये जा चुके है;

(ख) क्या स्थापित किये गये तथ्य कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते है, और

(ग) क्या शास्ति अत्याधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है।

पुनरीक्षण

13– इस विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, समूह 'क' एवं 'ख' के मामले में अध्यक्ष एवं समूह 'ग' एवं 'घ' के मामले में प्रबन्ध निदेशक स्वप्रेरणा से या संबंधित कार्मिक के अभ्यावेदन पर किसी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगा सकेगीजिसका विनिश्चय उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा इस विनियमावली द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके किया गया हो और,

(क) ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर सकेगी, उसका संशोधन कर सकेगी या उसे उलट सकेगी, या

(ख) निदेश दे सकेगी कि मामले में अग्रेतर जांच की जाए, या

(ग) आदेश द्वारा अधिरोपित दण्ड को कम कर सकेगी या उसमें वृद्धि कर सकेगी; या

(घ) मामले में ऐसा अन्य आदेश दे सकेगी जैसा वह उचित समझे।

पुनर्विलोकन

14– निदेशक मण्डल यदि उसके संज्ञान में यह बात लाई गई कि आक्षेप आदेश पारित करते समय कोई ऐसी नई सामग्री या साक्ष्य को पेश न किया जा सका था या वह उपलब्ध नहीं था या विधि की कोई ऐसी तात्विक त्रुटि हो गयी थी जिसका प्रभाव मामले की प्रकृति को परिवर्तित करता हो, तो वह किसी भी समय स्वप्रेरणा से या संबधित कार्मिक के अभ्यावेदन पर इस विनियमावली के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे।

शास्ति अधिरोपित करने या वृद्धि करने के पूर्व अवसर

15– नियम 12, 13 और 14 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित कार्मिक को प्रस्तावित यथास्थिति, अधिरोपित करने या वृद्धि करने के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

विखंडन और व्यावृत्ति

16– (एक) उत्तराखण्ड सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2010 इस विनियमावली द्वारा विस्थापित की जाती है।

(दो) ऐसे विस्थापन के होते हुए भीः–

(क) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासनएवं अपील) नियमावली, 2003 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) संशोधन नियमावली, 2010 के अधीन जारी किया गया कोई ऐसा आदेश जिसमें किसी प्राधिकारी की नियम–3 में उल्लिखित किन्ही शास्तियों को अधिरोपित करने की शक्ति या निलम्बन की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, इस विनियमावली के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा और तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि उसे रद्द् या विखंडित न कर दिया जाय।

(ख) इस विनियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक को लम्बित कोई जांच, अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन जारी रहेगा और इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन निर्णीत किया जायेगा।

(ग) इस विनियमावली की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के ऐसे अधिकार के प्रवर्तन से वंचित नहीं करेगी जो उसे इस विनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी पारित आदेश के सम्बन्ध में इस विनियमावली के प्रर्वतन न होने पर प्राप्त होते और इस विनियमावली के प्रारम्भ के पूर्व पारित किसी

आदेश के सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन को इस विनियमावली के अधीन दाखिल की जायेगी और तद्नुसार निस्तारित की जायेगी मानो इस विनियमावली के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

पत्रांकः M-737/यूजेवीएनएल/अधि0नि0(मा0सं0)/उमप्र(औ0सं0) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. समस्त निदेशक/अधिशासी निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. समस्त महाप्रबन्धक/वरिष्ठ विधि अधिकारी (महाप्रबन्धक स्तर)/उपमहाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
5. **उपमहाप्रबन्धक (आई0टी0), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।**
6. कम्पनी सचिव,यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
7. प्रबन्धक (प्रशा0 एवं सुरक्षा), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
8. मानव संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग/अधिकारी।

28/03/24

(राजेन्द्र सिंह)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)